संख्या:अ-1157/मु0मं0का0-4/2003

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,

सचिव, मुख्य मंत्री,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 12 दिसम्बर, 2003

विषय:- उ0प्र0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता की स्वीकृति के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से अनेक आवेदन पत्र प्राप्त होते है, जिनपर धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार हेतु आवेदक के पते की सत्यता, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति आदि का मूल्यांकन अति आवश्यक हो जाता है । कतिपय बीमारी के मामलों में सम्बन्धित अस्पतालों के स्टीमेट आदि भी आवेदनकर्ता द्वारा संलग्न नहीं किये जाते हैं, ऐसे आवेदन पत्रों पर आपकी आख्या की आवश्यकता होती है । जनपदों में शासन से आख्या हेतु भेजे गये ऐसे आवेदन पत्रों अथवा आप द्वारा मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से धनराशि स्वीकृत करने हेतु शासन को संदर्भित किये जाने वाले प्रकरणों में अनुरोध है कि संलग्नक में अंकित सभी बिन्दुओं पर आख्या एवं आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति शासन को भेजी जाय ।

2- जिलाधिकारी की आख्या सामान्यतः फैक्स के द्वारा मांगी जाती है । अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि प्राथमिकता पर आख्या सामान्यतः 04 दिनों में फैक्स द्वारा उपलब्ध करा दी जाय ।

3- किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर, जिन बीमारियों की जिला स्तर पर स्थानीय चिकित्सालयों में उपचार की निःशुल्क व्यवस्था है, उन प्रकरणों को संदर्भित न किया जाय ।

4- स्वीकृत धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली में दिये गये निर्देशों के अनुसार मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-4 (लेखा पक्ष) को यथासमय निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जाय ।

5- जिन प्रकरणों में उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी तक नहीं भेजे गये है उनमें विशेष ध्यान देकर नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये ।

कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,

(आनन्द मिश्र)

सचिव, मुख्य मंत्री।

प्रारूप

1– आवेदक/लाभार्थी का नाम

2– पिता/संरक्षक/अभिभावक का नाम

3– स्थायी पता

4– स्थानीय/पत्र व्यवहार का पता

5– प्रयोजन

6– लाभार्थी एवं अभिभावक का व्यवसाय, मासिक आय तथा सामान्य आर्थिक स्थिति का विवरण ।

7– सेवारत होने की दशा में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता ।

8– प्रयोजन हेतु इसके पूर्व में दी गई सहायता धनराशि एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता।

9– प्रयोजन हेतु यदि किसी विभाग से सहायता अनुमन्य है तो उसकी स्थिति ।

10– मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता हेतु जिलाधिकारी की स्पष्ट आख्या ।